भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1128

उत्तर देने की तारीख 08.02.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महिलाओं की प्रतिभागिता

1128. श्री लल्लू सिंहः
डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः
श्रीमती संध्या रायः
श्री नलीन कुमार कटीलः
श्री शंकर लालवानीः
श्री पी.सी. मोहनः
श्री संजय भाटियाः
श्री रवि किशनः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई में महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत एमएसएमई की महिला मालिकों का प्रतिशत कितना रहा;

(ग) पंजीकृत एमएसएमई की महिला मालिकों की वर्तमान संख्या कितनी है और 2013 में कितनी एमएसएमई का स्वामित्व महिलाओं के पास था;

(घ) वर्ष 2014 के बाद से आज की तिथि तक पंजीकृत एमएसएमई की वर्ष-वार संख्या कितनी रही और 2013 में कितने एमएसएमई अस्तित्व में थे; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में एमएसएमई की सहायता करने के लिए कौन-सी योजनाएं और पैकेज शुरू किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई सहित मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल पर पंजीकृत करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्र कार्यालय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों के साथ समन्वय में उद्यम पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन करते हैं और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसके लाभों का प्रचार करते हैं। वर्ष 2022 और 2023 में आयोजित किए गए ऐसे विशेष अभियानों के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6 लाख से अधिक महिला-स्वामित्व वाली मौजूदा एमएसएमई पंजीकृत हुई।

उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पर, दिनांक 11 जनवरी 2023 को इसके परिचालन के बाद से, दिनांक 06.02.2024 तक की स्थिति के अनुसार, 1,35,01,418 अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम (आईएमई) पंजीकृत हैं। इनमें से 70% से अधिक आईएमई महिला-स्वामित्व वाले उद्यम हैं।

(ख): उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल दिनांक 1 जुलाई 2022 को परिचालित किया गया था। इस तारीख से पहले (अर्थात, 18 सितम्बर 2015 से 30 जून 2020 तक), एमएसएमई ने स्वयं को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत करने के लिए उद्यम आधार ज्ञापन (यूएएम) प्रस्तुत किया था। यूएएम/यूआर के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत एमएसएमई की महिला मालिकों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

	दिनांक 30/06/2020 तक यूएएम के अंतर्गत महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई के प्रतिशत हिस्से सहित कुल एवं महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई		शुरुआत से अब तक उद्यम और यूएपी के अंतर्गत महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई के प्रतिशत हिस्से सहित कुल एवं महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई			
एमएसएमई	**2019-20**	**2020-21 (दिनांक 01/04/2020 - 30/06/2020)**	**2020-21 (दिनांक 01/07/2020 - 31/03/2021)**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
कुल	25,51,629	11,63,852	28,46,609	51,46,469	85,79,178	1,98,29,907
महिला-स्वामित्व वाली	5,49,449	1,80,665	4,88,843	9,09,878	19,29,317	1,06,77,473
महिला-स्वामित्व वाली का %	**21.53**	**15.52**	**17.17**	**17.68**	**22.49**	**53.85**

(ग) और (घ): यूएएम पर दिनांक 18.9.2015 से 30.6.2020 तक, यूआर और यूएपी पर पंजीकृत एमएसएमई सहित की संख्या के साथ, इन मंचों पर पंजीकृत एमएसएमई की महिला-मालिकों की वर्तमान संख्या निम्नलिखित है:

शुरुआत (दिनांक 18.09.2015) से 30/06/2020 तक यूएएम के अंतर्गत महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई के प्रतिशत हिस्से सहित एमएसएमई और महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई की कुल संख्या							
एमएसएमई	**2015-16 (दिनांक 18/09/2015 - 31/03/2016)**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (दिनांक 01/04/2020 - 30/06/2020)**	**कुल**
कुल	4,93,989	23,63,033	15,13,100	21,13,835	25,51,629	11,63,852	1,01,99,438
महिला-स्वामित्व वाली	3,539	51,028	3,40,402	4,45,404	5,49,449	1,80,665	15,70,487

शुरुआत (दिनांक 01.07.2020) से दिनांक 06.02.2024 तक उद्यम और यूएपी के अंतर्गत महिला-स्वामित्व एमएसएमई के प्रतिशत हिस्से सहित एमएसएमई और महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई की कुल संख्या					
एमएसएमई	**2020-21 (दिनांक 01/07/2020 - 31/03/2021)**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (दिनांक 01.04.2023 – 06.02.2024)**	**कुल**
कुल	28,46,609	51,46,469	85,79,178	1,98,29,907	3,64,02,163
महिला स्वामित्व वाली	4,88,843	9,09,878	19,29,317	1,06,77,473	1,40,05,511

(ङ): सरकार ने देश में महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई और अन्य एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाएँ हैं, जैसे कि:

i) उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

ii) महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए, लोक प्रापण नीति में वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को अपनी वार्षिक खरीद का न्यूनतम 3% महिला-स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया था।

iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 01.12.2023 से महिला उद्यमियों के लिए दो प्रावधानों को शुरू किया गया था। यह निम्नानुसार हैं:

क) वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% छूट: और

ख) अन्य उद्यमियों के लिए 75% की तुलना में, 85% तक का 10% अतिरिक्त गारंटी कवरेज।

iv) महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कयर विकास योजना के अंतर्गत "कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना" का कार्यान्वयन करता है, जो कयर क्षेत्र में शामिल महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

v) मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन भी करता है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक मुख्य ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। विशेष श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व-सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है।

vi) खरीद और विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई को उच्चतर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

vii) महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से महिला-सवामित्व वाली एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए "समर्थ" पहल का शुभारंभ किया गया था। आकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों को मंत्रालय की कौशल विकास स्कीमों के अंतर्गत आयोजित नि:शुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटों; मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता स्कीमों के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का 20%; और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्कीम के वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट का प्रावधान किया गया है।

viii) मंत्रालय महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई सहित एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए कई अन्य स्कीमों नामत: सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति), खरीद और विपणन सहायता स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), ऋण-संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएस-टीयूएस) आदि का कार्यान्वयन भी करता है।

ix) एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ाने के लिए दिनांक 11.11.2023 से महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई के लिए प्रमाणन की लागत 100% से कम कर दी गई है।

x) महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से दिनांक 27.06.2023 से दिनांक 10.08.2023 तक एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 का आयोजन किया गया था जिसमें 18,888 आइडिया प्राप्त हुए।

*****